



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 1139]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

का.आ. 1286(अ).—यतः, मै. डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के चिप्पाडा गाँव, विशाखापट्टनम जिले में भेषज के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम, 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम.स.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र	परिणामतः क्षेत्रफल
1.	का.आ. 720 (अ)	15.05.2006	105.496	105.496
2.	का.आ. 1481 (अ)	18.06.2010	9.29	114.786
3.	का.आ. 1731 (अ)	26.07.2011	17.857	132.643

और यतः, मै. डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने अब 9.21 हेक्टेयर (22.76 एकड़) के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **9.21 हेक्टेयर (22.76 एकड़)** के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **141.853 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः-

तालिका

क्र.सं	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अन्नावरम	4/1	1.87	0.7567
2.		4/3	0.63	0.2549
3.		4/4	0.80	0.3237
4.		2/1	1.00	0.4046
5.		107/1	18.46	7.4704
कुल			<b>22.76</b>	<b>9.21</b>
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				<b>141.853</b>

[फा. सं. एफ.2/116/2005-ईपीजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2017

**S.O. 1286(E).**—WHEREAS, M/s. Divi's Laboratories Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Special Economic Zone for Pharmaceuticals at Village-Chippada, Visakhapatnam District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:—

(Area in hectares)

Sl. No.	Notification No.	Dated	Area Notified	Resultant Area
1.	S.O. 720 (E)	15.05.2006	105.496	105.496
2.	S.O. 1481 (E)	18.06.2010	9.29	114.786
3.	S.O. 1731 (E)	26.07.2011	17.857	132.643

AND WHEREAS, M/s. Divi's Laboratories limited, has now proposed to include an area of 9.21 hectares (22.76 Acres) as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **9.21 hectares (22.76 Acres)**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **141.853 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table namely:—

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Village</b>	<b>Survey No.</b>	<b>Area in Acres</b>	<b>Area in hectares</b>
1.	Annaram	4/1	1.87	0.7567
2.		4/3	0.63	0.2549
3.		4/4	0.80	0.3237
4.		2/1	1.00	0.4046
5.		107/1	18.46	7.4704
<b>Total</b>			<b>22.76</b>	<b>9.21</b>
<b>Grant total area of SEZ after above addition</b>				<b>141.853</b>

[F. No. F.2/116/2005-EPZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.